रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1465] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 19, 2017/ वैशाख 29, 1939
No. 1465] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 19, 2017/VAISAKHA 29, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2017

का.आ. 1654(अ).–प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3123 तारीख 20 नवम्बर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई टीका टिप्पणियां/आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए थे;

बालुखांडा-कोनार्क वन्यजीव अभयारण्य संवेदी जोन तटीय पारिस्थितिक प्रणाली और जीव विविधता के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन अधिसूचना संख्यांक 9013/एफएपफएएच तारीख 23 अप्रैल, 1984 और उक्त अधिसूचना संख्यांक 15261/एफएपफएएच तारीख 1 सितम्बर, 1987 द्वारा उपांतरित की गई थी जिसका एक भाग 70.40 एकड़ सरकारी भूमि है जो अभयारण्य के सिवाय है अधिसूचित क्षेत्र है । बालुखांडा-कोनार्क वन्यजीव अभयारण्य वन्य जीव के स्वस्थाने और बाहस्थाने सिंचाई के लिए उड़ीसा में भुवनेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर एक महत्वपूर्ण स्थल है;

यह अभयारण्य पुरी जिले में स्थित है और 87 वर्ग किलोमीटर से अधिक श्रेत्र में फैला हुआ हैं । इस अभयारण्य के दक्षिणी भाग की ओर बंगाल की खाड़ी है। कैजुआरिन, काजू (*एनाकार्डियम फैसिडेंडेली*), यूकेलिप्टस और ईयर लिफ अकेसिया *(अकेसिया औरिसियुलिफॉर्मिस)* मुख्य वृक्ष प्रजातियां है। प्राकृतिक वनस्पतियों में नीम (*अजादिराछा इंडिका*), घांटा (*अबुटिलॉन एसपी*), गुआकोली, खिरकोली (*मोनीलक्रा हेक्सन्द्र*) आदि शामिल है;

और, प्राची नदी के मुहाने पर स्थित इस अभयारण्य के गोलारा प्रस्तावित आरक्षित वन प्रखण्ड का एक भाग मनकडकेंडु, बाराकोली, जामुन (*सज़ीगियम कुममिनी*), झूमपुरी, बेंत और बांस जैसे सहयोगियों सहित केरूअन, राजु, गुआन, जैसी कच्छ वनस्पतियों का पोषण करता है और इस अभयारण्य में इनके सहचर वन्यजीव जैसे कि काला हिरण (*एनिलेटोप सर्विप्रा*), चित्तीदार हिरण (*रशिया अल्फ्रेडि*), लकड़बग्घा (*हिना एसपी*), जंगली बिल्ली (*फेलिस चौस*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), लोमड़ी (*वल्प्स वल्प्स*), बंदर (*माकाका एसपी*), खरगोश (*लिपस एसपी*), मानीटर लिजार्ड (*वाराणस एसपी*) आदि पाए जाते है;

और, उक्त पारिस्थितिक और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में बालुखांडा-कोनार्क वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के चारो ओर के क्षेत्र को, जो इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट विस्तार और सीमाओं के क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित

करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों के प्रचालन या प्रसंस्करण या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा राज्य में बालुखांडा-कोनार्क वन्यजीव अभयारण्य की सीमा 0 मीटर से 500 मीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को बालुखांडा-कोनार्क वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी बालुखांडा-कोनार्क वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से भूमिरक्षा दिशा पर 0 मीटर से 500 मीटर है और पारिस्थितिक संवेदी जोन 21.50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन पूर्व की ओर 19^0 54'03.5"उत्तर अक्षांश और 86^0 13'34.2"पूर्व देशान्तर ; पश्चिम दक्षिण की ओर 19^0 48'14.4" उत्तर अक्षांश तथा 85^0 51'35.0" पूर्व देशान्तर; उत्तर की ओर 19^0 52'45.0"उत्तर अक्षांश और 86^0 01'01.8"पूर्व देशान्तर और दक्षिण की ओर 19^0 51' 15.3" उत्तर अक्षांश तथा 86^0 04'33.9" पूर्व देशान्तर से घिरा हुआ है।

(3) बालुखांडा-कोनार्क वन्यजीव अभयारण्य, भू-समन्वयक के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले तीस ग्रामों की सूची उनके भू-समन्वयक के साथ **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) इस प्रकार तैयार किए गए आंचलिक महायोजना अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्त के अनुरूप होंगे और पर्यावरणीय प्रभाव शामिल होंगे।

(3) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(5) आंचलिक महायोजना सभी संबंधित राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिका ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ; और

(viii) उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिक अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो ।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और समर्थनकारी मानचित्र और विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं के ब्यौरे देते हुए मानचित्रों द्वारा समर्थित होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट संवर्धित क्रियाकलाप होगी ।

(10) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए हैं वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, पैरा 5 के अधीन निगरानी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(iii) वर्षा जल संचय, और

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केंद्रीय सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पारिस्थितिक पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, उड़ीसा सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, उड़ीसा सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र बालुखांडा-कोनार्क वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय

सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी संरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या उड़ीसा राज्य सरकार निवारण और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार संकलित किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 (1981 का 14) और इसके अधीन किए गए विनियमों के अनुसार संकलित किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण साधारण मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा ;

(ii) अकार्बनिक सामग्री पारिस्थितिक संवेदी जोन बाह्य पहचान की गई स्थल पर स्वीकार्य रीति में व्ययत किया जाएगा ;

(iii) ठोस अपशिष्टों के ज्वलन या भस्मीकरण और भराई का स्थापना पारिस्थितिक संवेदी जोन में अनुज्ञा नहीं की जाएगी ;

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- (i) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा— पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई साधारण उपचार सुविधा या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(iii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में मौजूद व्यक्तिगत अस्पतालों या निजी स्वास्थ्य केंद्रों के संरक्षित क्षेत्र पर प्रतिकूल असर से बचने के लिए पर्याप्त अपशिष्ट उपचार प्रणाली प्रदान करनी चाहिए।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को निगरानी करेगी ।

(15) यदि यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों निर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए उद्योग और उद्योगों में विद्यमान प्रदूषण का विस्तार अनुज्ञा नहीं होगी। फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त गैर- प्रदूषण कुटीर उद्योगों को संवर्धित किया जाएगा।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	पत्तनों, बंदरगाह और जेटी की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन ।	नए वाणिज्यिक स्थापन जैसे होटल और रिसोर्ट पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर से अनुज्ञा नहीं होगी ।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	पैरा 3 के उपपैरा (1) के सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित स्थानीय घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए पारिस्थितिक संवेदी जन के भीतर नए प्रकार का संनिर्माण अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। प्रदूषणता करने वाले लघु उद्योगों से

		संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप के मामले में विनियमित किया जाएगा और न्यूनतम रखा जाएगा।
11.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य जलाए जाने की सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान की कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचार/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान / अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत जलावतरण की सुविधा का अधिकतर प्रतिषिद्ध है।
12.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
13.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
15.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
17.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा।
18.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
22.	विदेशी प्रजातियों की पहचान।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	प्राकृतिक जल निकायों सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित/ बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा । अन्यथा लागू विधियों के अधीन उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
27.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों एन टी एफ टी का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	सुरक्षा बल कैंप ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

29.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु नए काष्ठ आधारित उद्योग 100% आयातित काष्ठ स्टाक को प्रयोग में लाते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापित किए जा सकेंगे ।
30.	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर, जैसे तंबू, लकड़ी के घर आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
32.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
33.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
34.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी पद्धति के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
35.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर –प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किए जाएंगे।
36.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
37.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
38.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
39.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
40.	वानस्पतिक बाड।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
41.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
42.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रुप से बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
44.	पारिस्थितिक-अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
45.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
46.	निम्नीकृत भूमि/ वन/ आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
47.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

ऊपर विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप के अनुसार प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप प्रारूप अधिसूचना जारी करने की तारीख से प्रस्त होंगी।

पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

i. जिला कलक्टर पुरी, उड़ीसा सरकार - अध्यक्ष ;

ii. पुलिस अधीक्षक, पुरी – सदस्य ;

iii. पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य ;

iv. पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में उड़ीसा सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ - सदस्य ;

v. उड़ीसा राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य सचिव/सदस्य - सदस्य;

vi. तहसीलदार,गोप – सदस्य ;

vii. कार्यपालक अधिकारी, पुरी नगरपालिका, पुरी - सदस्य ;

viii. कार्यपालक अधिकारी, कोणार्क एनएसी, कोणार्क - सदस्य ;

ix. प्रादेशिक अधिकारी, उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य ; और

x. प्रखंड वन अधिकारी, पुरी वन्यजीव प्रखंड – सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश निबंधन

(1) निगरानी समिति का कार्यकाल अधिसूचना जारी करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त (उपायुक्तों) संरक्षित क्षेत्र ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध III** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा.सं. 25/40/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

बालुखांडा-कोणार्क वन्यजीव अभयारण्य, उड़ीसा की पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र

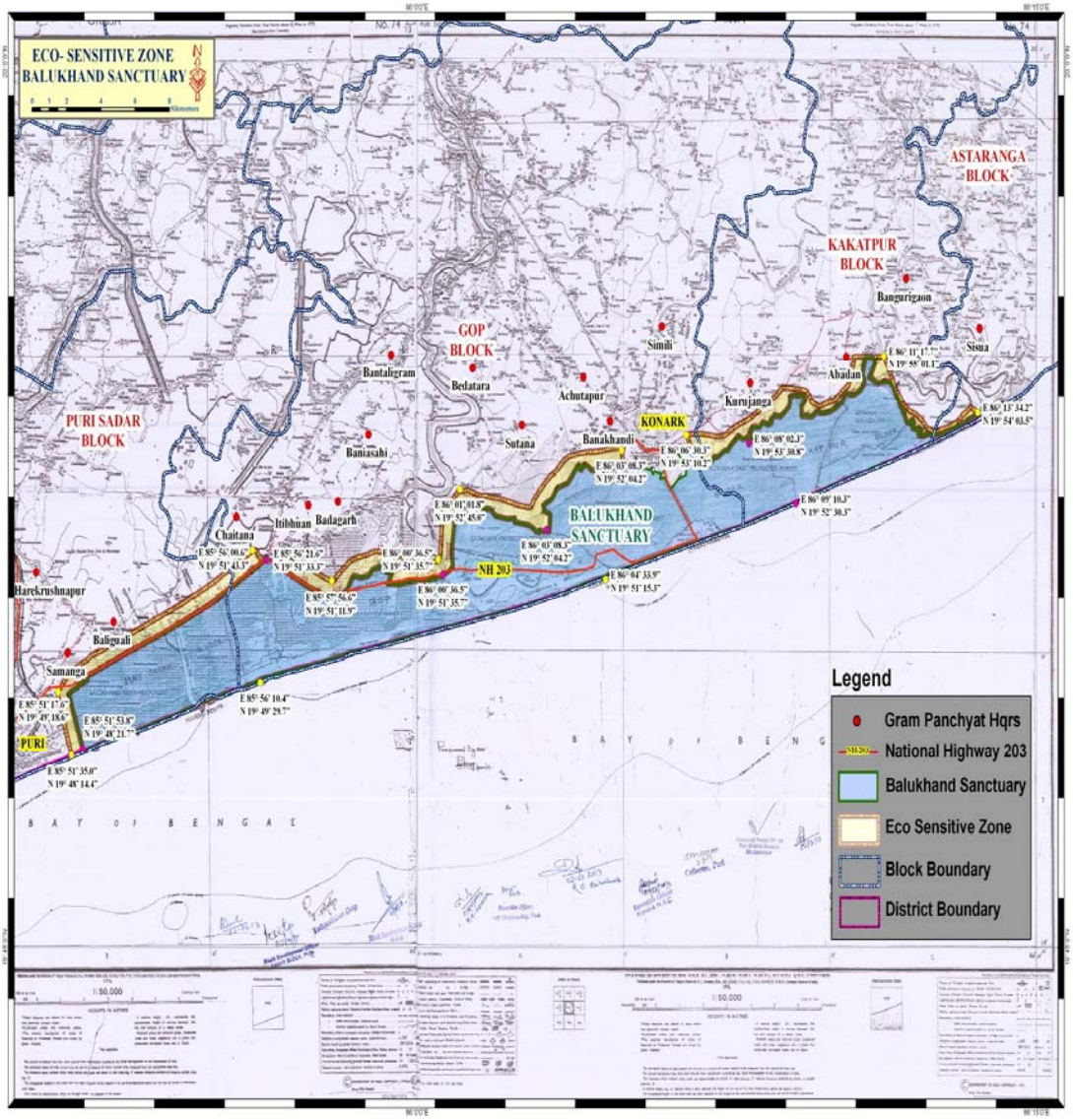

उपाबंध I (क)

बालुखांडा-कोणार्क वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1.	उ19°48'21.7"	पू85°51'53.8"
2.	उ19°51'33.3"	पू85°56'21.6"
3.	उ19°51'35.7"	पू86°00'36.5"
4.	उ19°52'04.2"	पू86°03'08.3"
5.	उ19°53'30.8"	पू86°08'02.3"
6.	उ19°52'30.3"	पू86°09'10.3"

बालुखांडा-कोणार्क वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भू निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1.	उ19°48'14.4"	पू85°51'35.0"
2.	उ19°49'18.6"	पू85°51'17.6"
3.	उ19°51'43.3"	पू85°56'00.6"
4.	उ19°51'11.9"	पू85°57'56.6"
5.	उ19°51'35.7"	पू86°00'36.5"
6.	उ19°52'45.0"	पू86°01'01.8"
7.	उ19°52'04.2"	पू86°03'08.3"
8.	उ19°53'10.2"	पू86°06'30.3"
9.	उ19°55'01.1"	पू86°11'17.7"
10.	उ19°54'03.5"	पू86°13'34.2"
11.	उ19°51'15.3"	पू86°04'33.9"
12.	उ19°49'29.7"	पू86°56'10.4"

उपाबंध-II

बालुखांडा-कोणार्क वन्यजीव अभयारण्य, उड़ीसा की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क्रम सं.	गांव/ शहर	अक्षांश	देशांतर
1	पुरी शहर	19° 48' 44.913" उ	85° 51' 36.134" पू
2	बालू खांडा	19° 49' 35.094" उ	85° 51' 44.807" पू
3	समानगरा	19° 49' 59.875" उ	85° 52' 35.607" पू
4	मोहिनी पुर	19° 50' 24.036" उ	85° 53' 37.559" पू
5	बेलादल	19° 50' 50.675" उ	85° 54' 40.130" पू
6	नखीसाही	19° 51' 28.466" उ	85° 55' 52.613" पू
7	चैताना	19° 51' 24.129" उ	85° 55' 35.267" पू
8	भीमापुर	19° 51' 12.358" उ	85° 55' 35.267" पू

9	गैंडोला	19° 51' 42.714" उ	85° 56' 33.501" पू
10	भुवन	19° 51' 24.129" उ	85° 57' 2.619" पू
11	गदाबंगर	19° 51' 20.412" उ	85° 58' 20.678" पू
12	जखारा	19° 51' 35.900" उ	85° 59' 18.912" पू
13	बडागन	19° 51' 38.378" उ	85° 58' 56.610" पू
14	बंगार	19° 52' 4.397" उ	86° 0' 41.927" पू
15	ताराकोल	19° 52' 35.373" उ	86° 1' 19.098" पू
16	खलकाता	19° 52' 24.222" उ	86° 2' 5.562" पू
17	कोर्णाक शहर	19° 53' 16.261" उ	86° 4' 24.334" पू
18	चंपाहारा	19° 53' 35.466" उ	86° 6' 55.496" पू
19	कुंजा	19° 53' 34.847" उ	86° 7' 29.569" पू
20	कुरूजंग	19° 53' 49.715" उ	86° 7' 58.067" पू
21	बुधियाबर	19° 53' 7.588" उ	86° 7' 15.320" पू
22	जामरा	19° 54' 4.584" उ	86° 8' 33.379" पू
23	बोदहानापदा	19° 54' 16.354" उ	86° 8' 56.301" पू
24	गुहालपुर	19° 54' 7.681" उ	86° 9' 29.136" पू
25	अबादन	19° 54' 41.755" उ	86° 10' 37.902" पू
26	बडा राउल	19° 54' 46.091" उ	86° 11' 11.975" पू
27	सिंघार पल	19° 54' 1.486" उ	86° 11' 52.244" पू
28	छेयुना	19° 53' 45.379" उ	86° 12' 41.805" पू
29	उदयकनी	19° 53' 51.574" उ	86° 13' 4.727" पू
30	तंधार	19° 53' 58.388" उ	86° 13' 18.976" पू

उपाबंध-III

पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2017

S.O.1654(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3123(E) dated the 20th November, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, comments, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification were duly considered;

AND WHEREAS, the Balukhanda-Konark Wildlife Sanctuary has been notified under section 18 of Wildlife Protection Act, 1972 for conservation of the sensitive coastal ecosystem and biodiversity vide Government notification No.9013/FFAH dated 23rd April, 1984 and the notification was amended vide Government notification No.15261/FFAH dated the 1st September, 1987, in which 70.40 Acres of the Government land in one patch was excluded from the Sanctuary and the Balukhanda-Konark Wildlife Sanctuary is at a distance about 60 kilometres from Bhubaneswar in the State of Odisha and is an important site for integration of in-situ and ex-situ Conservation of Wildlife;

AND WHEREAS, the Balukhanda-Konark Wildlife Sanctuary situated in Puri District in the State of Odisha extending over 87 square kilometres and the Bay of Bengal is on the Southern side of the Sanctuary. The primary tree species are casuarinas, cashew (*Anacardium occidentale*), Eucalypatus and Ear leaf Acacia (*Acacia auriciuliformis*). The natural vegetation consists of Neem (*Azadirachta indica*), Ghanta (*Abutilon sp.*), Guakoli, Khirkoli (*Monilkra hexandra*) etc.;

AND WHEREAS, a portion of Golara proposed reserved Forest Block of this Sanctuary situated on the mouth of Prachi river supports Mangrove vegetation like Keruan (*Hollarhena antidysenterika*), Raj, Guan along with associates like Mankadkendu, Barakoli, Jamun (*Syzgium cummini*), Jhumpuri, Canes and Bamboos. Wild animals like Black Buck (*Antilope cervicapra*), Spotted deer (*Rusa alfredi*), Hyena (*Hyaena sp.*), Jungle Cat (*Felis chaus*), Jackal (*Canis aureus*), Fox (*Vulpes vulpes*), Monkey (*Macaca sp.*), Hare (*Lepus sp.*), Monitor Lizard (*Varanus sp.*), etc. are found in the Sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Balukhanda-Konark Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an extent of 0 metres to 500 metres on the landward side of the Balukhanda-Konark Wildlife Sanctuary in the State of Odisha as the Balukhanda-Konark Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-(1)The extent of Eco-sensitive Zone varies from 0 metres to 500 metres on the landward side of boundary of the Balukhanda-Konark Wildlife Sanctuary. 21. 50 square kilometres.

(2) The Eco-sensitive Zone is bounded by 19º54’03.5"N latitude and 86º13’34.2”E longitude towards east; 19º48’14.4"N latitude and 85º51’35.0"E longitude towards west-south; 19º52’45.0"N latitude and 86º01’01.8”E longitude towards north and 19º51’15.3"N latitude and 86º04’33.9"E longitude towards south.

(3) The map of Balukhanda-Konark Wildlife Sanctuary demarcating the Eco-sensitive Zone boundary along with the geo co-ordinates are appended as **Annexure I**.

(4) The list of thirty villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates is appended as **Annexure II**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan so prepared shall commensurate with the stipulation specified in the Notification and include the environmental implications.

(3) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(4) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture; and

(viii) Odisha State Pollution Control Board.

(6) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green areas such as parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes, wetlands and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and shall follow prohibited, regulated and promoted activities specified in the Notification so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions with respect to the provisions given in this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Small scale industries not causing pollution;
(ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;
(iii) Rainwater harvesting; and
(iv) Cottage industries including village artisans:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment management plan shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit or and restrict development activities within the catchment areas.

(3) **Eco-Tourism.-**(a)The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Eco-tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Odisha in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Odisha.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities relating to tourism shall be regulated as under, namely.-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km. from the boundary of the Balukhanda-Konark Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by The National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Odisha State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 framed under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** Regulations for the control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder shall be complied with.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) The solid waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 .

(ii) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(iii) No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** (i) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(ii) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(iii) Individual hospitals or private health centres already existing within the Eco Sensitive Zone should provide adequate waste treatment system to avoid adverse impact on the Protected Area.

(11) **Plastic Waste Management**.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016.

(12) **Construction and Demolition Waste Management**.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) **E-waste**.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change .

(14) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
	Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of ports, harbours and jetty.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

8.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new or expansion of existing commercial establishments such as hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
10.	Construction activities.	No new construction of any kind shall be permitted within the Eco-sensitive Zone, except for the domestic needs of local residents including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. In case of the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum.
11.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste .	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within Eco sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is Prohibited.
12.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
13.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	Regulated Activities	
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.
16.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a)The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for bona fide agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
18.	Fencing of existing premises of hotels, lodges and resorts.	Regulated under applicable laws.
19.	Use of plastic carry bags.	Regulated under applicable laws.
20.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
23.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
24.	Air, noise and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
25.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.

26.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
27.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
28.	Security Forces Camp.	Regulated under applicable laws.
29.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive Zone using 100% imported wood stock.
30.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.	Regulated under applicable laws.
31.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
32.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
33.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
34.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws.
35.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting industries termed as White Category as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
36.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
37.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy sources.	Permitted under applicable laws.
39.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
40.	Vegetative fencing.	Permitted under applicable laws.
41.	Cottage industries including village artisans, etc.,	Shall be actively promoted.
42.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted .
43.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
44.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
45.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
46.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
47.	Environmental Awareness .	Shall be actively promoted.

Prohibited Activities as specified above shall come into effect from the date of issue of Draft Notification.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(i) The District Collector Puri, Government of Odisha – Chairman;

(ii) Superintendent of Police, Puri - Member;

(iii) Representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment to be nominated by the State Government of Odisha for a term of three years in each case	– Member;
(iv) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government of Odisha for a term of three years in each case	- Member;
(v) Member-Secretary or Member, Odisha State Biodiversity Board	- Member;
(vi) Tahasildar, Gop	- Member;
(vii) Executive Officer, Puri Municipality, Puri	-Member;
(viii) Executive Officer, Konark NAC, Konark	- Member;
(ix) Regional Officer, Odisha State Pollution Control Board	-Member; and
(x) Divisional Forest Officer, Puri Wildlife Division	– Member-Secretary.

6.Terms of Reference:-

(1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years from the date of issue of Notification.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests namely Environmental Impact Assessment, 2006 vide S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and the Coastal Regulation Zone, Notification 2011 vide S.O. No. 19(E) dated 6th January, 2011 and subsequent amendments therein, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board for "classification of Industries, 2016".

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and S.O. 19 (E) dated 6th January, 2011 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State under intimation to this Ministry as per proforma appended at **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/40/2015-ESZ/RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure I

Map of Balukhanda-Konark Wildlife Sanctuary, Odisha along with Eco-sensitive Zone

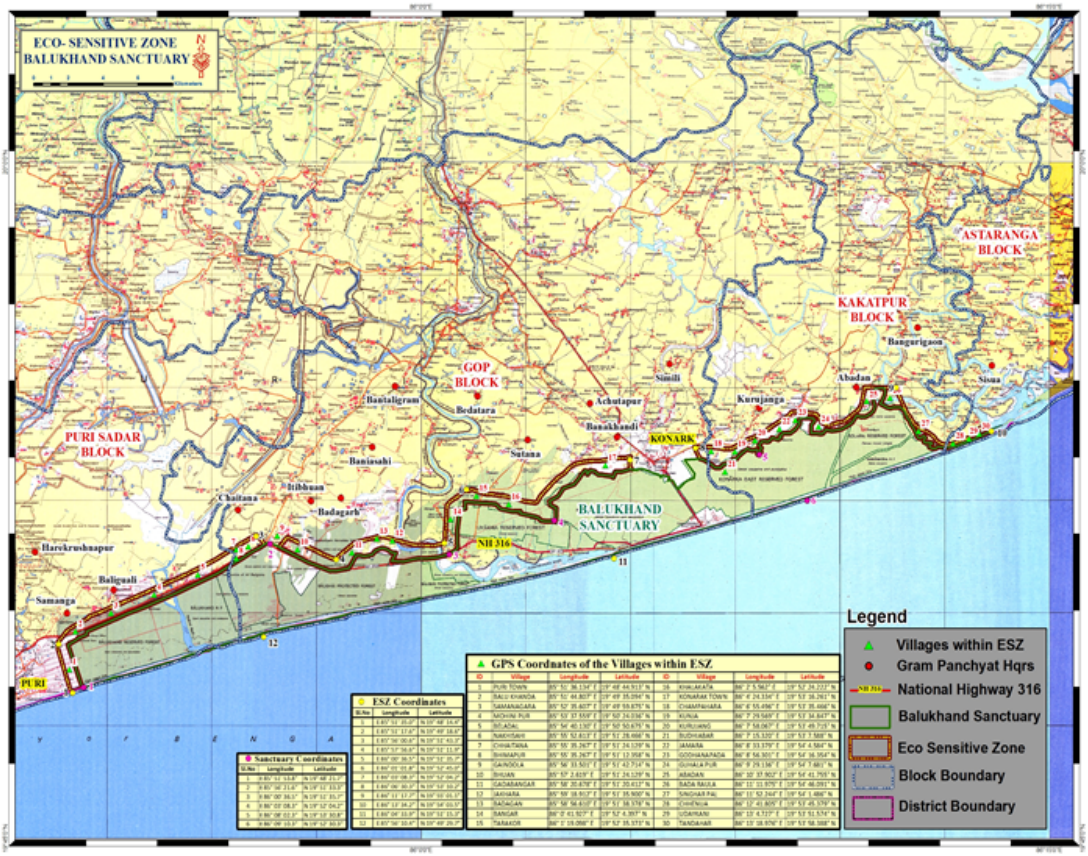

Annexure I (A)

Geo Co-ordinates of boundary of Balukhanda-Konark Wildlife Sanctuary

SI. No	Latitude	Longitude
1.	N19^{0}48’21.7”	E85^{0}51’53.8”
2.	N19^{0}51’33.3”	E85^{0}56’21.6”
3.	N19^{0}51’35.7”	E86^{0}00’36.5”
4.	N19^{0}52’04.2”	E86^{0}03’08.3”
5.	N19^{0}53’30.8”	E86^{0}08’02.3”
6.	N19^{0}52’30.3”	E86^{0}09’10.3”

Geo Co-ordinates of boundary of Eco Sensitive Zone of Balukhanda-Konark Wildlife Sanctuary

SI. No	Latitude	Longitude
1.	N19^{0}48’14.4”	E85^{0}51’35.0”
2.	N19^{0}49’18.6”	E85^{0}51’17.6”
3.	N19^{0}51’43.3”	E85^{0}56’00.6”
4.	N19^{0}51’11.9”	E85^{0}57’56.6”
5.	N19^{0}51’35.7”	E86^{0}00’36.5”
6.	N19^{0}52’45.0”	E86^{0}01’01.8”
7.	N19^{0}52’04.2”	E86^{0}03’08.3”
8.	N19^{0}53’10.2”	E86^{0}06’30.3”
9.	N19^{0}55’01.1”	E86^{0}11’17.7”
10.	N19^{0}54’03.5”	E86^{0}13’34.2”
11.	N19^{0}51’15.3”	E86^{0}04’33.9”
12.	N19^{0}49’29.7”	E86^{0}56’10.4”

Annexure II

List of villages along with geo-coordinates falling within the Eco Sensitive Zone of Balukhanda-Konark Wildlife Sanctuary

ID	Village	Latitude	Longitude
1.	PURI TOWN	19^{0}48’44.913”N	85^{0}51’36.134”E
2.	BALU KHANDA	19^{0}49’35.094”N	85^{0}51’44.807”E
3.	SAMANAGARA	19^{0}49’59.875”N	85^{0}52’35.607”E
4.	MOHINI PUR	19^{0}50’24.036”N	85^{0}53’37.559”E
5.	BELADAL	19^{0}50’50.675”N	85^{0}54’40.130”E
6.	NAKHISAHI	19^{0}51’28.466”N	85^{0}55’52.613”E
7.	CHHAITANA	19^{0}51’24.129”N	85^{0}55’35.267”E
8.	BHIMAPUR	19^{0}51’12.358”N	85^{0}55’35.267”E
9.	GAINDOLA	19^{0}51’42.714”N	85^{0}56’33.501”E
10.	BHUAN	19^{0}51’24.129”N	85^{0}57’2.619”E
11.	GADABANAGAR	19^{0}51’20.412”N	85^{0}58’20.678”E
12.	JAKHARA	19^{0}51’35.900”N	85^{0}59’18.912”E
13.	BADAGAN	19^{0}51’38.378”N	85^{0}58’56.610”E
14.	BANGAR	19^{0}52’4.397”N	86^{0}0’41.927”E
15.	TARAKOR	19^{0}52’35.373”N	85^{0}1’19.098”E
16.	KHALAKATA	19^{0}52’24.222”N	86^{0}2’5.562”E
17.	KONARK TOWN	19^{0}53’16.261”N	86^{0}4’24.334”E
18.	CHAMPAHARA	19^{0}53’35.466”N	86^{0}6’55.496”E
19.	KUNJA	19^{0}53’34.847”N	86^{0}7’29.569”E
20.	KURUJANG	19^{0}53’49.715”N	86^{0}7’58.067”E
21.	BUDHIABAR	19^{0}53’7.588”N	86^{0}7’15.320”E
22.	JAMARA	19^{0}54’4.584”N	86^{0}8’33.379”E
23.	GODHANAPADA	19^{0}54’16.354”N	86^{0}8’56.301”E
24.	GUHALAPUR	19^{0}54’7.681”N	86^{0}9’29.136”E
25.	ABADAN	19^{0}54’41.755”N	86^{0}10’37.902”E
26.	BADA RAULA	19^{0}54’46.091”N	86^{0}11’11.975”E
27.	SINGHAR PAL	19^{0}54’1.486”N	86^{0}11’52.244”E
28.	CHHENUA	19^{0}53’45.379”N	86^{0}12’41.805”E
29.	UDAYKANI	19^{0}53’51.574”N	86^{0}13’4.727”E
30.	TANDAHAR	19^{0}53’58.388”N	86^{0}13’18.976”E

Annexure III

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings;
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure;
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan;
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure;
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure;
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure;
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.23 21:38:57 +05'30'